



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 श्रावण 1947 (श10)
(सं0 पटना 1308) पटना, मंगलवार, 5 अगस्त 2025

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना
30 जुलाई 2025

सं० 6प०/स्था/रा०नि०-02/2016/9527/पं०रा०—बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम, 6, 2006) की धारा-123 की उप धारा-(1) एवं (2) सहपठित धारा-146 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2008 का संशोधन करने हेतु एतद् द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ:—

- (1) यह नियमावली बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली, 2025 कही जा सकेगी।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2008 के नियम-5 का प्रतिस्थापन।— उक्त नियमावली के नियम-5 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :—

“राज्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद ग्रहण करने की तिथि से पाँच (5) वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा;

परन्तु यह कि यदि राज्य निर्वाचन आयुक्त पाँच (5) वर्ष की अवधि समाप्त होने के पूर्व पैंसठ (65) वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तो वह उस तारीख को जिस तारीख को वह उक्त आयु प्राप्त कर लेता है, अपना पद रिक्त कर देगा;

परन्तु यह भी कि राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयुक्त के पदावधि समाप्त होने पर अधिकतम तीन (3) वर्ष के लिए पुनः नियुक्त कर सकेगी;

परन्तु यह भी कि अभिलिखित किये गये कारणों से, कार्यहित में, राज्य सरकार पाँच (5) वर्षों की पदावधि या पैसठ (65) वर्ष की आयु सीमा, जो पहले हो, को यथोचित विस्तार करते हुये अधिकतम तीन (3) वर्ष अथवा 68 वर्ष की आयु सीमा, जो पहले हो, के लिए विस्तारित कर सकेगी;

परन्तु यह भी कि राज्य निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित पत्र द्वारा पद त्याग सकेगा।”

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1308-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>